

# कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

क्रमांक/मा.चि./2022/10739

कांकेर, दिनांक 9/12/2022

प्रति

प्रधान राज्य समन्वयक अधिकारी  
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट  
लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest land For Non-Forest Purpose Under Forest Conservation Act. 1980  
Proposed For Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Of Optical Fiber Cable (OFC)  
line In Kanker Forest Division Under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY), Area-  
2.119 Ha. Regarding.  
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/87496/2020

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/2020/दिनांक 27.01.2021

— — 00 — —

विषयान्तर्गत लेख है, कि आपके द्वारा Laying Optical Fiber Cable (OFC) Line Along  
With Row (Road Corridor) Kanker Division District Kanker Area 2.119 Ha. क्षेत्र का वन संरक्षण  
अधिनियम 1980 के तहत गैर यानिकी प्रयोजन हेतु निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार  
कर प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव का अवलोकन करने पश्चात निम्न कमियाँ पाई गई। जिसमें  
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006  
अंतर्गत वितरित मान्यता पत्र की जानकारी निर्धारित प्रारूप "ब" में ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव के  
साथ कार्यवाही विवरण अनुसार उपखंड स्तरीय समिति का सत्यापित प्रतिवेदन के अनुसार ही  
प्रारूप "स" तथा Annexure-I, Annexure-II में कलेक्टर, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) से  
हस्ताक्षर उपरांत मूलप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आपको लेख किया गया था, परन्तु  
आज दिनांक तक आपके द्वारा जानकारी आपेक्षित है।

अतः आपको अपूर्ण प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वन मंडलाधिकारी

कांकेर वन मंडल कांकेर

कांकेर, दिनांक 9/12/2022

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/10739

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति कांकेर को सूचनार्थ।
04. उपवनमंडलाधिकारी कांकेर/कोरर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

कांकेर वनमंडल कांकेर